रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2011/श्रावण 3, 1933
No. 161] NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2011/SRAVANA 3, 1933

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2011

फा. सं. 6(1)/2011-केवीआई-II.— केन्द्रीय सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करके 19 जुलाई 2006 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन किया था;

और, आयोग के उक्त सदस्यों की अवधि 18 जुलाई, 2011 को समाप्त हो गयी है और इसी दिन अध्यक्ष ने आयोग के अध्यक्ष के पद का कार्यभार त्यागने के बारे में सूचित किया है, जिसे अन्यथा वह कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी के आने तक धारण करना जारी रखेंगी;

और, केंद्रीय सरकार ने एक नए आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है;

और, पूर्ववर्ती आयोग की सभी संपत्तियाँ और निधियाँ जो आयोग की अवधि की समाप्ति के पश्चात केंद्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, को केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अभिहित प्राधिकरण के माध्यम से प्रशासित किए जाने की अपेक्षा है;

और, सभी विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों और सभी अन्य संबंधित कार्यकलापों को उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर जारी रखना आवश्यक हो गया है जो पूर्ववर्ती आयोग द्वारा उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व कियान्वित की जा रहीं थीं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह संकल्प करती है कि आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग नाम से एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जो उक्त आयोग की सभी संपत्तियों और निधियों की देखरेख करेगा, जो इसकी अवधि की समाप्ति के समय इसके अधिकार में थीं और सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा व खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61), खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 2006 और इसके अधीन बनाए गए विनियमों के विभिन्न उपबंधों के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कृत्यों का पालन करेगा।

2. केंद्रीय सरकार यह और संकल्प करती है कि आयुक्त, खादी और ग्रामोद्योग संगठन के समुचित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा तथा निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगा, अर्थात,

(क) संगठन के सभी विभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा;

(ख) खादी और ग्रामोद्योगों की स्थापना और विकास की योजना, संवर्धन, संगठन सहायता तथा ग्रामीण विकास में लगी अन्य अभिकरणों के साथ जहाँ आवश्यक हो वहाँ समन्वयन करना;

(ग) खादी और ग्रामोद्योगों में नियोजित या रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और उसका आयोजन करना;

(घ) कच्ची सामग्री और उपकरणों को आरक्षित बनाने तथा उन्हें ऐसी दरों पर, जो विनिश्चित की जाए, ऐसे व्यक्तियों को प्रदाय करना जो कि हस्तनिर्मित रेशे या खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लगे हुए हैं या लगने की संभावना हैं;

(ड.) कच्ची सामग्री या अर्द्धनिर्मित वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना तथा खादी या ग्रामोद्योग उत्पादों के उत्पादन और विपणन को अन्यथा सुविधा प्रदान करना;

(च) खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री और विपणन का संवर्धन करना;

(छ) खादी और ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन और अनुसंधान का संवर्धन करना जिसके अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि करने, नीरसता कम करने की दृष्टि से गैर-परंपरागत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग भी है तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करना और ऐसे अनुसंधानों से प्राप्त विशिष्ट परिणामों के प्रचार की व्यवस्था करना;

(ज) खादी या ग्रामोद्योगों की समस्याओं के बारे में सीधे स्वयं अथवा किसी बाहरी अभिकरण के माध्यम से अध्ययन संचालित करना;

(झ) खादी या ग्रामोद्योगों के विकास और संचालन में लगी संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और उत्पादित माल, और सेवाओं के प्रयोजन के लिए डिजाइन, आदि प्रारूप और अन्य तकनीकी जानकारी के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना;

(ञ) प्रयोग अथवा प्रायोगिक परियोजना संचालित करना, जो खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हो;

(ट) उपर्युक्त किसी मामले या सभी को संचालित करने के लिए अलग संगठन को बनाए रखना;

(ठ) प्रमाणिकता सुनिश्चित करना और क्वालिटी के मानक निर्धारित करना जिससे खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उक्त मानक की पुष्टि कर सके, जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को मान्यता के प्रमाणपत्र या पत्र जारी करना भी है;

(ड) केंद्रीय सरकार की विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), बाजार विकास सहायता (एमडीए), खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी), आदि को कार्यान्वित करना, जो पूर्ववर्ती आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी;

(ढ़) प्रत्येक वर्ष में ऐसी तारीख तक बजट तैयार करना और केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना;

(ण) संगठन की प्राप्तियों और व्यय के लेखा का रखरखाव करना या रखरखाव करवाना;

(त) व्यापारिक और अन्य कार्यकलापों के लिए स्वयं या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संविदा करना, बशर्ते कि स्वीकृत बजट में इसका उपबंध किया गया हो;

(थ) केन्द्रीय सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों के लिए समय-समय पर बनाए गए ऋण नियमों के उपबंधों के अनुसार और प्रत्येक उद्योग के संबंध में समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दरों और निबंधनों के अनुसार ऋण प्रदान करना;

(द) केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ खादी निधि और ग्रामोद्योग निधि या किसी प्रयोजन के लिए अन्य आस्तियां की प्रतिभूति पर उधार लेना, जिसके लिए उक्त निधि प्रयुक्त हो;

(ध) निम्नलिखित किसी या सभी श्रेणियों में आने वालों को वित्तीय सलाहकार के पूर्व परामर्श से 10,000 रुपए तक की राशि को बट्टे खाते में रखना, अर्थात,

(1) चोरी, कपट, आदि के कारण भंडारों या सार्वजनिक धन की हानि या अवापसीयोग्य मूल्य;

(2) ऋणों से भिन्न हानि या अवापसीयोग्य अग्रिम; और

(3) भंडारों के मूल्य में कमी और अवक्षयण।

(न) हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करना और हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, यदि कोई हो, के विरुद्ध की गई कार्रवाई के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भी भेजी जाएगी;

(प) किसी करार, चाहे वह अभिव्यक्त या विवक्षित या अन्यथा जो भी हो, भू-राजस्व के बकाया के रूप में, खादी और ग्रामोद्योग के आयुक्त को संदाय योग्य राशि वसूल करना;

(फ) कोई अन्य स्कीम को कार्यान्वित करना या ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं;

(ब) ऐसे अन्य दायित्वों का निर्वहन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं;

(भ) केंद्रीय सरकार के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने की प्रणाली के रूप में निर्देश जारी करना; और

(म) उपर्युक्त उल्लिखित कार्यों के आनुसंगिक कोई अन्य कृत्यों का संपादन करना।

3. केंद्रीय सरकार यह संकल्प भी करती है कि पूर्ववर्ती आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्तीय सलाहकार और सभी अन्य कर्मचारी, जिसके अंतर्गत व्यापारिक संवर्ग भी है, पदधारित किए रहेंगे और सेवा मामलों के संबंध में उनकी प्रास्थिति समान होगी जो आयोग की अवधि की समाप्ति के समय रही थी और इसके बाद से वे खादी और ग्रामोद्योग आयोग के आयुक्त के संपूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्राण के अधीन कार्य करेंगे।

4. केन्द्रीय सरकार यह संकल्प भी करती है कि खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपने प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यकतानुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेंगे तथा आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, ऋण और अग्रिम, छुट्टी, आचरण के मामलों में आयोग की अवधि की समाप्ति की तारीख को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों पर लागू वर्तमान नियमों के अनुसार सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

5. केन्द्रीय सरकार यह संकल्प भी करती है कि आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) विनियम, 2003 में दी गई यथा उपबंधित नियुक्त प्राधिकारी तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

6. केन्द्रीय सरकार यह संकल्प भी करती है कि इस संकल्प के लागू होने से पूर्व किसी भी समय खादी और ग्रामोद्योग के विकास के संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा या उसके साथ की गई सभी संविदाओं तथा उसके द्वारा या उसके लिए किए जाने को अपेक्षित सभी मुद्दों और वस्तुओं से अपेक्षित कार्यों को, इसके लागू होने के पश्चात खादी और ग्रामोद्योग के लिए आयोग द्वारा या उसके साथ या उसके लिए की गई संविदा अथवा कार्य समझे जाएंगे।

2772GI/11-2

7. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए उपयुक्त विनियोग के पश्चात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग को ऐसी राशि का संदाय करेगी जिसे वह उक्त कृत्यों के अनुपालन के लिए आवश्यक समझें।

8. केन्द्रीय सरकार यह संकल्प भी करती है कि-

(क) आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग खादी के विकास, ग्रामोद्योगों के विकास या खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति से उपहार, अनुदान, दान या उपकृति प्राप्त कर सकेंगे;

(ख) आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग, खादी निधि, ग्रामोद्योग निधि तथा सामान्य और विविध निधि नाम से तीन भिन्न निधियां जारी रखेंगे तथा आयुक्त खादी और ग्रामोद्योगों द्वारा प्राप्त सभी राशि इन निधियों में जमा होगी तथा इसका अनुपयोग उसी प्रयोजन के लिए उसी रीति से किया जाएगा जैसा कि आयोग के कार्यकाल की समाप्ति से ठीक पहले किया जाता रहा है।

(ग) आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के लिए विद्यमान समितियों और एवं उप-समितियों का पुनःगठन कर सकेंगे, आवश्यकतानुसार नई समितियों (उपसमितियों) और उप समिति (उपसमितियों) का गठन कर सकेंगे।

9. आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग का मुख्यालय मुम्बई या ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाए।

10. आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग यदि किसी कारण से कार्यालय आने में असमर्थ रहते हैं तो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग के कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा;

11. पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयुक्त खादी और ग्रामोद्योग, इस संकल्प के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों के निर्वहन में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सलाह और निदेशों के लिए बाध्यकारी रहेगा।

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July, 2011

F. No. 6(1)/2011-KVI-IL— WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 25 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 had re-established the Khadi and Village Industries Commission on the 19 July 2006 by appointing members to the said Commission;

AND WHEREAS, the term of the said members of the Commission has expired on the 18 July 2011 and the Chairperson has informed about her relinquishment of charge as Chairperson of the Commission on the same day, which otherwise she would have continued to hold till her successor entered office;

AND WHEREAS, the Central Government has initiated the process of appointing a new Commission and is likely to take some time;

AND WHEREAS, all properties and funds of the erstwhile Commission which have now got vested in the Central Government after the expiry of the tenure of the Commission are required to be administered by the Central Government through its designated authority;

AND WHEREAS, it has become necessary to continue all existing policies, programmes, schemes and all other related activities on the same terms and conditions as were being implemented by the erstwhile Commission immediately before its term ends;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under article 73 of the Constitution, the Central Government hereby resolves that an authority in the name of the Commissioner for Khadi and Village Industries be established who shall henceforth look after all the properties and funds of the said Commission, which were in its possession at the time of expiry of its tenure and exercise all powers and perform functions of the Khadi and Village Industries Commission, under various provisions of Khadi and Village Industries Act, 1956 (61 of 1956), Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006 and the regulations made thereunder.

2. The Central Government further resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be responsible for the proper functioning of the organisation and shall perform the following functions, namely:-

a) to exercise administrative control over all departments and officers of the organisation;

b) to plan, promote, organize and assist in the establishment and development of khadi and village industries in coordination with other agencies engaged in rural development wherever necessary;

c) to plan and organize training of persons employed or desirous of seeking employment in khadi and village industries;

d) to build up reserves of raw materials and implements and supply them to persons engaged or likely to be engaged in production of handspun yarn or khadi or village industries at such rates as may be decided;

e) to encourage and assist in the creation of common service facilities for the processing of raw materials or semi-finished goods and for otherwise production and marketing of khadi or products of village industries;

f) to promote the sale and marketing of khadi, and products of village industries;

g) to encourage and promote research in the technology used in khadi and village industries, including the use of non-conventional energy and electric power with a view to increasing productivity, eliminating drudgery and otherwise enhancing their competitive capacity and to arrange for dissemination of salient results obtained from such research;

h) to undertake directly or through other agencies studies of the problems of khadi or village industries;

i) to provide financial assistance to institutions or persons engaged in the development and operation of khadi or village industries and guide them through supply of designs, prototypes and other technical information for the purpose of producing goods and services;

j) to undertake experiments or pilot projects which may be necessary for the development of khadi and village industries;

k) to maintain separate organizations for the purpose of carrying out any or all of the above matters;

l) to ensure genuineness and to set up standards of quality so that products of khadi and village industries conform to the said standards, including issue of certificates or letters of recognition to the concerned persons;

m) to implement the various schemes of the Central Government like the Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP), Market Development Assistance (MDA), Khadi Reform and Development Programme (KRDP), etc. being implemented by the erstwhile Commission;

n) to prepare and submit budget by such date in each year to the Central Government for approval;

o) to maintain or cause to be maintained an account of the receipt and expenditure of the organisation;

p) to enter into contracts, himself or through any officer authorised by him in connection with its trading and other activities provided provision therefore exists in the sanctioned budget;

q) to grant loans in accordance with the provisions of the loan rules for khadi and village industries made by the Central Government from time to time, and in accordance with and at rates and on terms sanctioned by the Central Government in respect of each industry from time to time;

r) to borrow, with the previous sanction of the Central Government, on the security of the khadi fund, village industries fund or any other assets for any purposes for which such funds may be applied;

s) to write off losses with prior consultation with the Financial Adviser, upto ₹ 10,000 failing under any or all of the following categories, namely:

(i) loss or irrecoverable value of stores or of public money due to the theft, fraud, etc.;
(ii) loss or irrecoverable advance other than loans; and
(iii) deficiency and depreciation in the value of stores.

t) to take suitable action against the persons responsible for the loss and shall also send to the Central Government a detailed report together with the action taken against the persons, if any, responsible for the loss;

u) to recover sum payable to the Commissioner for Khadi and Village Industries under any agreement, expressed or implied or otherwise howsoever, in the manner as an arrear of land-revenue;

v) to implement any other scheme or perform such other functions which may be assigned to him by the Central Government;

w) to undertake such other duties and exercise such other powers as may be assigned to him by the Central Government;

x) to issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Central Government; and

y) to carry out any other functions incidental to the functions mentioned above.

3. The Central Government also resolves that the Chief Executive Officer, the Financial Adviser and all other employees of the erstwhile Commission, including those in the trading cadre shall continue to hold office and shall enjoy the same status in regard to service matters as they were doing at the time of expiry of the tenure of the Commission and shall henceforth function under the overall supervision and control of the Commissioner for Khadi and Village Industries.

4. The Central Government also resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries may appoint such other officers and staff, as it considers necessary for its efficient functioning with the prior approval of the Central Government and the Commissioner for Khadi and Village Industries shall also exercise all powers in the matters of promotion, loans and advances, leave, conduct of its officers and staff as per the existing rules applicable to Khadi and Village Industries Commission Employees on the date of expiry of the tenure of the Commission.

5. The Central Government also resolves that the Commissioner for Khadi and Village Industries may exercise the powers of appointing authority as well as disciplinary authority as provided in the Khadi and Village Industries Commission Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2003.

6. The Central Government also resolves that all liabilities incurred by, all contracts entered into with and all matters and things engaged to be done by or for the Khadi and Village Industries Commission in connection with the development of khadi and village industries at any time before the commencement of this resolution, shall, after such

2772 GI/11—4

commencement, be deemed to have been incurred by, entered into with, or engaged to be done by, or for, the Commission for Khadi and Village Industries.

7. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commissioner for Khadi and Village Industries in each financial year such sums as may be considered necessary for performing the aforesaid functions.

8. The Central Government also resolves that -

a) the Commissioner for Khadi and Village Industries may for the purpose of development of khadi, the development of village industries or the development of khadi and village industries, receive gifts, grants, donations, or benefactions from the Central Government or any other person;

b) the Commissioner for Khadi and Village Industries shall continue to have three separate funds called the khadi fund, village industries fund and the general and miscellaneous fund and all sums received by the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be credited to these funds and shall also be applied for the purposes in the same manner as was being done immediately before the expiry of the tenure of the Commission;

c) the Commissioner for Khadi and Village Industries may reconstitute the existing Committees and Sub-Committees and may constitute any new Committee (s) and Sub-Committee(s), as considered necessary, for performing any of the aforesaid functions, with the prior approval of the Central Government;

9. The headquarters of the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be at Mumbai or at such other place as the Central Government may from time to time direct;

10. The Commissioner for Khadi and Village Industries, if for any reason is unable to attend his office, any officer as may be specifically authorised by the Central Government shall discharge the duties and functions of the Commissioner for Khadi and Village Industries;

11. Without prejudice to the foregoing provisions while in discharge of its powers and functions under this resolution, the Commissioner for Khadi and Village Industries shall be bound by such advice and directions as the Central Government may give to it from time to time.

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.